राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 821/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय,जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.के.जैन
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 26.08.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन संभाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 125/अपील्स–।।/आवीएटी/जयपुर/डी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 08.08.2008 को किया जाकर माल की भौतिक गणंना की गयी तथा रिकार्ड को अभिग्रहीत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किये गये रिकार्ड की ऑडिट व स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने का नोटिस प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी किया गया । नोटिस की पालना में फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश धामानी लेखों पुस्तकों के साथ उपस्थित हुए। अभिग्रहीत रिकार्ड एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन हेतु लेखा पुस्तकों से किये जाने पर रू. 9,66,627/– की अपवंचित बिक्री मानकर उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रू. 1,20,627/– तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू. 14,500/–आरोपित किया गया। भौतिक सत्यापन रू. 9,66,627/– के माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में नहीं जाये के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,41,657/–की शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों,परिस्थिति एंव विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित की गई मांग को अपास्त किया है। उनका कथन है कि उपत्रावली पर्याप्त तथ्य एवं सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने अविधिक निष्कर्ष देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को अपास्त किया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों का अनुसरण किये बिना अपीलाधीन आदेश किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन करने के साथ ही यदि माननीय पीठ यह अनुभव करती है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया है तो वह अपीलीय अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दे कि वह प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने पश्चात पुनः आदेश पारित करें।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपवंचित राशि रू. 9,66,627/–मानी जाकर उस पर करारोपण कराने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि उक्त आवर्त पर करारोपण का कोई आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में अंकित नहीं किया गया है, जबकि उक्त अपंवंचित राशि के सम्बन्ध में नोटिस जारी करने पर सभी तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने सम्बन्धित फर्मो की जांच पडताल किये करारोपण किया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि समस्त संव्यवहारें का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया हुआ है तथा नियमानुसार देय कर का भुगतान भी किया गया है,ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने से पूर्व करापवंचित बिक्री के सम्बन्ध में समस्त संव्यवहारों को सत्यापित कराया गया है,ऐसी स्थिति में कर,ब्याज एवं शास्ति आरोपित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निरर्धारण अधिकारी द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न परिशिष्टों के संबंध में कोई भी जांच नहीं की गयी है तथा

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी का यह अवधारण कि प्रस्तुंत जवाब संतोषप्रद नहीं है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । अप्रार्थी व्यवहारी की की और से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल के द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पार्टी के खाते की प्रति इसके अलावा बिक्री बिल 365 व 380 के संबंध में क्रेता फर्मों के प्रमाण पत्र पेश किये गयें है। इन संवव्यवहारों के संबंध में कर जमा किया जाना लेखा पुस्तकों से प्रमाणित है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उसके साथ संलग्न परिशिष्टों की परीक्षात्मक जांच के अभाव में सत्यापन नहीं मानकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करनेके पश्चात निष्कर्ष दिया है कि "कोई भी खरीद बिक्री संदिग्ध माने जाने के पूर्व माल की सुपुर्दगी, भुगतान का माध्यम आदि महत्वपूर्ण तथ्य होते है इस प्रकार नियमित संधारित खरीद बिक्री विवरण जमा चालान की विगत, स्टॉक रजिस्टर आदि इस संबंध में इस प्रकार के अकाट्य प्रमाणित वक्त बहस सत्यापित कराये गये है जो यह सिद्ध करते है कि तीनों सवंव्यवहार नियमित संधारित लेखा पुस्तकों में हाने से उसका देय कर नियमित रहा है। अतः इन बिलो को किसी भी सतर पर छिपाया जाना संभव नही था क्योंकि समस्त सूचनाएं निर्धाश्रत समय में एवं समय के पूर्व विभाग व अन्य संबंधित संस्थाओं को दी गयी है फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि रूपये 9,66,627/– की अपवंचति बिक्री मानकर जो कर रूपये 1,20,828/– एंव इस क्रम में ब्याज रूपये 14,500/– आरोपित किया गया हे उसे विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। चूंकि समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तको में दर्ज है नियमित बिक्री प्रपत्रों में बिक्री प्रदर्शित है, सत्यापन के पूर्व बिलों से आयातित मालके विक्रय बिल जारी किये गये है अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयके द्वारा दिये गये निर्णयों एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में शास्ति आरोपण भी उचित नहीं है"।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा दिए गए उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह पीठ विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2010 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य